

यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी क मश्वर (क.नि.)-चतुर्थ, वा णज्य कर, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डप्टी क मश्वर (क.नि.)-चतुर्थ, वा णज्य कर, देहरादून के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार एवं श्री बी.एम. त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री निखल गोस्वामी व.ले.प. द्वारा दिनांक 31.08.2017 से 11.09.2017 तक श्री हिमांशु मण लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मक:** इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री श्री हिमांशु मण एवं श्री वनय कुमार द्ववेदी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री निखल गोस्वामी व.ले.प. द्वारा दिनांक.29.11.2016 से 17.12.2016 तक श्री आर.एस.नेगी-1 वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: -घंटाघर से पीपलमंडी-दाया भाग, पीपलमंडी से बिंदाल पुल- बाया भाग, बिंदालपुल से भण्डरिभाग- बाया भाग, भण्डारीभाग से पीपलमंडी - बाया भाग
3. (ii) (अ) राजस्व ववरण

वगत 3 वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख में)
2014-15	44594.60
2015-16	47156.23
2016-17	49383.07

(ii)(स) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(लाख में)

वर्ष	आवंटन		स्थापना व्यय		अभ्यर्पित राश
	आयोजनेतर	आयोजनेतर	आयोजनेतर	आयोजनेतर	
डी.डी.ओ कार्य नहीं किया जाता है।					

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन बजट आवन्टन नहीं प्राप्त होता है। गैर स्थापना राजस्व संग्रह को सम्मिलित न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

वत सचिव > आयुक्त कर, वाणज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणज्य कर> डप्टी कमिश्नर, वाणज्य कर> सहायक आयुक्त, वाणज्य कर> वाणज्य कर अधिकारी,

4. (V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा वध: लेखापरीक्षा में डप्टी कमिश्नर (क.नि.)-चतुर्थ, वाणज्य कर, देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी कमिश्नर (क.नि.)-चतुर्थ, वाणज्य कर, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तुतः जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: माह को वस्तुतः जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: डी.डी.ओ कार्य नहीं किया जाता

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व

भाग 2 (अ)

प्रस्तर 01 कर का अनारोपण `14.22 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(i) (ख) (ई) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के विक्रय पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) चतुर्थ वाणिज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री विनय सांइटिफिक कार्पोरेशन क0नि0 वर्ष 2013-14 में कुल 64 फार्म-16 का प्रयोग कर `3,57,57,569 का माल आयात किया गया था। पत्रावली में संलग्न फार्म-16 के सूची के जॉच में पाया गया कि `25,18,147 का सांइटिफिक गुड्स एवं `3,32,39,422/- का लैव कैमीकल्स का खरीद किया गया था। संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा कैमीकल्स (13.5 प्रतिशत) का व्यवसायिक विवरण निम्न प्रकार से दर्शाया गया था-

आरम्भिक रहतिया (O.B)-

खरीद- कैमीकल्स (13.5 प्रतिशत) = ` 49,03,067

प्रांतीय खरीद कैमीकल्स = `1,00,82,335

आयतित खरीद कैमीकल्स (फार्म-16 से) = `3,32,39,422

कुल खरीद कैमीकल्स = `4,33,21,757

अंतिम रहतिया (C.B)-

कैमीकल्स = `1,75,07,167

बिक्री (Sale)

प्रांतीय बिक्री कैमीकल्स (13.5 प्रतिशत) = `1,94,14,883

फार्म-11 के विरुद्ध बिक्री (13.5 प्रतिशत) = `20,000

केन्द्रीय बिक्री (13.5 प्रतिशत) = `7,47,871

कुल बिक्री (13.5 प्रतिशत) = `2,01,82,754

उपरोक्त विवरण के अनुसार व्यापारी के खरीद में लाभ न भी जाड़ा जाय तो कम से कम नियमानुसार बिक्री होना चाहिए था:-

बिक्री = आरम्भिक रहतिया+खरीद-अंतिम रहतिया

=`49,03,067 + `4,33,21,757-`1,75,07,167

=`3,07,17,657

इस प्रकार व्यापारी द्वारा `1,05,34,903 (`3,07,17,657-`2,01,82,754) की बिक्री पर कर लगने से रह गया था। जिस पर नियमानुसार 13.5 प्रतिशत की दर से `14,22,211 का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा जिस पर कर जमा करने की तिथि तक ब्याज भी आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि खरीद का विभाजन व्यापारी से प्राप्त कर सम्प्रेक्षा को प्राप्त करा दिया जायेगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सम्प्रेक्षा द्वारा पत्रावली में संलग्नक मूल फार्म-16 में अंकित लैब कैमीकल्स एवं उल्लेखित धनराशि को जोड़ कर संगत वर्ष में कुल कैमीकल्स की आयतित खरीद निकाली गयी है।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया।

भाग 2 (ख)

प्रस्तर 01 आई.टी.सी रिवर्स न किये जाने से राजस्व क्षति `18.64 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(2) के प्रावधानों के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लिये पंजीकृत ब्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनराशि होगी जो कर अवधि के दौरान, ऐसे प्रयोजन हेतु और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि इस धारा में विनिर्दिष्ट है, किये गये क्रय के क्रम धन पर पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा विक्रेता ब्यौहारी को भुगतान किया गया है, और जिसकी गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसी की विहित की जाये।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) चतुर्थ वाणिज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री सोम्या सेल्स, क0नि0 वर्ष 2012.13 में प्रथम त्रैमास के विवरणी में `1,63,44,777/- को प्रान्तीय खरीद दर्शायी गयी थी जिस पर `18,64,526/- का आई.टी.सी का लाभ लिया गया था। जबकि पत्रावली में प्रान्तीय खरीद का विवरण संलग्न नहीं था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा `18,64,526 का लिया गया आई.टी.सी नियमानुसार रिवर्स योग्य है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि आई.टी.सी का लाभ नमूना जाँच करने के उपरांत दिया गया है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा साक्ष्य के रूप में कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ख)

प्रस्तर 02 कर का न्यूनारोपण `3.82 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(i) (ख) (ई) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के विक्रय पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) चतुर्थ, वाणिज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में निम्नलिखित किमयों पायी गयी:-

(1) व्यापारी सर्वश्री रिलीफ सर्जिकल एण्ड मेडिकल इक्विपमेंट क0नि0 वर्ष 2013-14 में कुल 90 फार्म-16 का प्रयोग कर `2,20,32,663/- का माल आयात किया गया था। पत्रावली में संलग्न फार्म-16 के सूची के जाँच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में कुल 10 फार्म-16 (सूची संलग्न) के द्वारा `24,59,293 का Surgical goods, Light, OT Light, furniture Tasu आदि का क्रय किया गया था। जबकि पत्रांक-आयुक्त [क0/उत्तराखण्ड/धारा-57](#) अनुभाग/2012.13 दिनांक 23 जुलाई 2012 के धारा-57 के निर्णय के अनुसार सर्जिकल गुड्स को अवर्गोक्त सूची में रखा गया था। जिस पर नियमानुसार 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित होना चाहिए था।

संलग्न सूची में वर्णित उक्त वस्तु भी अवर्गोक्त सूची में होने के कारण 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित होना चाहिए था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा `24,59,293 के सर्जिकल गुड्स फर्नोचर, ओटी लाईट, टेबुल आदि के बिक्री में लाभ न भी जोड़ा जाय तो भी 8.5 प्रतिशत की अन्तरीय दर से `2,09,039/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा। जिस पर कर जमा करने की तिथ तक नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गय कि बिक्री की गयी वस्तु उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची-II B के प्रविष्टि सं0-72 से अछादित है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं होगा क्योंकि धारा-57 का निर्णय कर निर्धारण अधिकारी के लिये बाध्य होता है। (कमशः)

संलग्न सूची-1

क0सं0	फार्म-16	वस्तु का नाम	धनराशि (₹)
1.	2170766	O.T Light	`30,600 /
2.	2170769	Surgical goods	`55000 /
3.	2170761	Furniture	`9,35,850 /
4.	217764	Surgical goods	`1,06,391 /
5.	2170778	Surgical goods	`23,256 /

6.	2170786	Surgical goods	`41,336 /
7.	2170791	Surgical goods	`1,40,269 /
8.	2170800	Light	`10,40,401 /
9.	3546866	Table	`16320 /
10.	3546881	OT Light	`69,870 /
		Total	`24,59,293 /

(2) व्यापारी सर्वश्री तानिया फार्मास्यू कल्स एण्ड सर्जिकल क.नि. वर्ष 2012-13 में कुल 65 फार्म -16 के प्रयोग कर 72,71,942/- का माल का आयात किया गया था। पत्रावली में संलग्न फार्म-16 के सूची के जाँच में पाया गया क (संलग्न-सूची-1) कुल 21 फार्म -16 के द्वारा 20,30,281/- का सर्जिकल गुड्स एवं होम हेल्थ केयर प्रोडैक्ट की खरीद किया गया था। जब क पत्रांक आयुक्त क.उत्तराखण्ड/धार-57 अनुभाग/ 2012-13 दिनांक 23 जुलाई 2012 के धारा-57 के निर्णय के अनुसार सर्जिकल गुड्स को अवर्गीकृतगया था। जिस पर नियमानुसार 13.5% की दर से कर आरोपित होना चाहिए था। संलग्न सूची में लक्ष्मीच अन्य वस्तु भी अवर्गीकृत होने के कारण 13.5% की दर से कर आरोपित होना चाहिए था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में 20,30,281/- के सर्जिकल गुड्स एवं होम हेल्थ प्रोडैक्ट में लाभ न भी जोड़ा जाए तो कम से कम अन्तरिय 8.5 प्रतिशत की दर से 1,72,573/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा। जिस पर कर जमा करने की तिथि तक ब्याज भी आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत किये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क बिक्री की गयी वस्तु उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 को अनुसूची-11 B के प्रवृष्टि सं.- 72 से अच्छादित है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं होगा क्योंकि धारा-57 का निर्णय कर निर्धारण अधिकारी के लेया बाध्य होता है।

प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया गया।

संलग्न सूची-1

क्रम सं.	फार्म-16 का न.	वस्तु का नाम	धनराश (रु)
1.	1938108	सर्जिकल गुड्स	66,017
2.	1938115	"	81,396
3.	1938118	"	87,233
4.	1938129	"	43,707
5.	0863956	"	1,82,325
6.	0863961	"	28,937
7.	0863963	"	39,882
8.	0863965	"	1,25,701
9.	0863967	"	96,390
10.	0863966	"	89,799
11.	0863973	"	1,81,258
12.	0863978	"	1,44,713
13.	1921516	"	1,05,761
14.	1921525	"	1,21,987
15.	1921526	"	1,98,232
16.	1921531	"	31,425
17.	1921538	"	1,19,326
18.	1921537	"	81,967
19.	1921518	हेल्थ केयर प्रोडक्ट	53,550
20.	1921542	सर्जिकल गुड्स	60,385
21.	2169144	होम हेल्थ प्रोडक्ट	90,300
			20,30,281/-

भाग-2(ख)

प्रस्तर सं.-03- बिक्री कम दर्शाये जाने से राजस्व क्षति 3.81 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अअ धनियम 2005 की धारा 4(2)(i)(ख)(ई) के प्रावधानों के अनुसार कसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भन्न माल के वक्रय पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोप णय होगा।

कार्यालय डप्टी क मशनर (क.नि.)- चतुर्थ वा णज्य कर, देहरादून के अभलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री सुपर मैक्स पसर्नाम केयर प्रा. ल. सेल्स क.नि. वर्ष 2011-12 के वाद में कर निर्धारण अ धकारी द्वारा व्यावसायिक ववरण इस प्रकार से दर्शाया गया:-

प्रारम्भिक रहतिया(O.B)	= 7,24,000
खरीद (Purchase)	= 2,72,40,163
बिक्री (Sale)	= 2,09,42,822
अन्तिम रहतिया (C.B)	= 2,65,4000/-

उपरोक्त ववरण के अनुसार नियमानुसार बिक्री होनी चाहिए थी-

$$\begin{aligned} \text{बिक्री} &= \text{प्रारम्भिक रहतिया} + \text{खरीद} - \text{अन्तिम रहतिया} \\ &= 7,24,000 + 2,72,40,163 - 2,65,4000 \\ &= 2,53,10,163/- \end{aligned}$$

व्यापारी के ट्रे डंग एकांउट के अनुसार 15,40,060/- का फ्री स्कीम को भी बिक्री में शामिल कर लेने के बाद की व्यापारी द्वारा 28,27,281/(2,53,10,163-2,09,42,822-15,40,060) के बिक्री पर कर आरोपत कये जाने से रह गया था जिस पर नियमानुसार 13.5 प्रतिशत की दर से 3,81,682/- का कर आरोपत होगा तथा कर जमा कये जाने की ति थ तक ब्याज भी आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क बिक्री में Sale Value+ Admitted Tax+ Free Scheme शा मल है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं होगा क्योंकि Admitted Tax तो व्यापारी द्वारा जमा कया गया कर होता है जो क बिक्री (Sale value) में शा मल होता है।

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया गया।

भाग-2(ख)

प्रस्तर 04- अर्थदण्ड का अनारोपण 4.43 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धत कर अधिनियम 2005 की धारा 58(1)(vii) में प्रावधान कया गया है क कोई व्यौहारी बिना कसी युक्ति-युक्ति कारण के अपना स्वीकृत कर वलम्ब से जमा करता है तो कम से कम 10 प्रतिशत का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय डप्टी क मशनर (क.नि.) चतुर्थ वा णज्य कर, देहरादून के अभलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क कुल आठ व्यापारी (सूची संलग्न) द्वारा व भन्न माह का स्वीकृत कर कुल 44,30,431/- बिना कसी युक्ति-युक्त कारण के वलम्ब से जमा कया गया था। जिस पर नियमानुसार कम से कम 10 प्रतिशत की दर से 4,43,043/- का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क मात्र 01,02, दिन अथवा 04 दिन वलम्ब से जमा होने पर अर्थदण्ड आरोपण का आधार नहीं बनता है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं होगा क्योंकि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धत कर अधिनियम 2005 की धारा-58 (1)(VII) में इस तरह का उल्लेख नहीं है।

प्रकरण उच्चा धकारियो के संज्ञान में लाया गया।

सूची संलग्न-1

क्रम सं.	व्यापारी का नाम/क.नि. वर्ष	माह	जमा करने की निर्धारित तिथि	जमा करने की तिथि	कर की धनराशि()	अर्थदण्ड
1	सर्वश्री वनय साइंटि फक कार्पोरेशन (2013-14)	जुलाई 2013 अक्टूबर 2013	25.08.2013 25.11.2013	02.09.2013 01.01.2014	1,86,143 1,16,593	18,614 11,659
2	सर्वश्री सुपर मैक्स पसर्नाल केयर प्रा. ल.सेल्स (2011-12)	जुलाई 2011 अगस्त 2011 सितम्बर 2011 अक्टूबर 2011 नवम्बर 2011 दिसम्बर 2011 जनवरी 2012 चतुर्थ त्रिमास “	25.08.2011 25.09.2011 25.10.2011 25.11.2011 25.12.2011 25.01.2012 25.02.2012 - -	17.12.2011 17.12.2011 17.12.2011 17.12.2011 10.01.2012 03.04.2012 01.04.2012 01.04.2012 15.05.2012	2,49,588 1,92,551 5,590 2,15,434 3,82,797 2,19,809 2,44,599 1,98,147 4,18,795	24,958 19,255 559 21,543 38,279 21,980 24,459 1,9814 41,879
3	सर्वश्री उषा श्री राम एण्टरप्राइजेज (2012-13)	अप्रैल 2012 जुन 2012 जुलाई 2012 अक्टूबर 2012	25.05.2012 25.07.2012 25.08.2012 25.11.2012	29.05.2012 27.07.2012 27.08.2012 26.11.2012	1,14,623 85,080 1,17,206 34,969	11,462 8,508 11,721 3,497
4	सर्वश्री एच.वी.टेक्नोलाजी	अगस्त 2010	30.09.2010	01.10.2010	3,67,451	36,745
5	सर्वश्री राभी पेरी फल्स(2013-14)	जुलाई 2013	25.08.2013	28.08.2013	6,88,964	68,896
6	सर्वश्री सदारथ एण्ड कम्पनी (2012-13)	जुलाई 2012 जनवरी 2013 फरवरी 2013	25.08.2012 25.02.2013 25.03.2013	27.08.2012 28.02.2013 28.03.2013	55,000 50,000 50,000	5,500 5,000 5,000

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -67/2017-18

7	सर्वश्री रत्नासागर हवेल्स प्राईवेट ल मटेड (2013-14)	अक्टूबर 2012	25.11.2012	01.12.2012	3,37,092	33,709
8	सर्वश्री ऐ.पी. वैटररीज(2013-14)	मई 2013	25.06.2013	28.06.2013	1,00,000	10,000
					44,30,431/-	44,3043/-

भाग-III

राजस्व से संबंधित वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
CT-35/2011-12	-	01
CT-33/2012-13	-	01,02
CT-20/2013-14	-	01,02,03,04,07,08,09,10,11,12 STAN 03,04,05,07
CT-29/2014-15	-	02,03,04
CT-16/2015-16	02,03,04,05	01,02
CT-27/2016-17	-	01,02,03,04

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का ववरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु डप्टी कमश्वर (क.नि.)-चतुर्थ, वाणज्य कर, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा पलेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत अनियमितताएं:
टिप्पणी- शून्य
3. लेखापरीक्षा अवध में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	डा. सुनीता पाण्डेया	डप्टी कमश्वर(क.नि.)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति डप्टी कमश्वर (क.नि.)-चतुर्थ, वाणज्य कर, देहरादून को इस आशय से

प्रेषत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र